

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FOREST

Regional Office, Western Re.  
"केंद्रीय पर्यावरण"  
"Kendriya Paryavaran Bhava"  
लिंक रोड नं०-3, Link Road No.  
रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nag  
गोपाल, म०प्र०/Bhopal-462016 (M.P.)  
फोन- 2466525, 2463102, 2465496  
तार /Telegram: CENTFOREST  
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

MC/32/2003-FCW/ 4373

दि० 26-11-2007

प्रधान सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग, वल्लभ भवन,  
भोपाल ।

भोपाल जिले में फर्शी पत्थर उत्खनन नवीनीकरण हेतु 1.00 हे० वनभूमि श्री संजय कटारे को उपयोग पर  
देने बाबत ।

1. वन कार्यालय का पत्रांक 8सी/32/2003-एफसीडब्ल्यू/3257 दिनांक 06/06/2007  
2. म०प्र० एवं नोडल अधिकारी, म०प्र० का पत्रांक एफ-2/37/96/10-11/2550 दिनांक  
14/11/2007

भोपाल मध्यप्रदेश शासन के उक्त विषयक पत्रांक डी/1644/1732/2003/10/3 दिनांक  
06/06/10, मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, म०प्र० का पत्रांक  
एफ-2/37/96/10-11/2127 दिनांक 22/9/06 एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक  
एफ-2/37/96/10-11/2550 दिनांक 16/01/2007 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण)  
अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1)  
द्वारा अग्राही गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी । उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल  
अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः केन्द्र सरकार  
के द्वारा भोपाल जिले में फर्शी पत्थर उत्खनन नवीनीकरण हेतु 1.00 हे० वनभूमि श्री संजय कटारे के प्रस्ताव को  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है  
वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

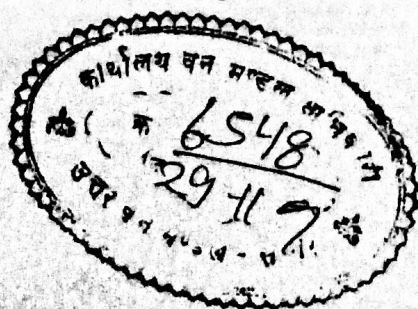
वनभूमि के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को केम्पा (CAMP) के  
विकास बैंक, ब्लॉक 11, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेस-I, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003 में स्थित  
केम्पा संख्या CA 1580 में हस्तांतरित की जायेगी ।

सीमाकर्ता के व्यय पर खनन पट्टा क्षेत्र का 4' उँचे आर०सी०सी० सीमा स्तम्भों जिन पर बियरिंग, कम  
से कम स्तम्भ से स्तम्भ की दूरी लिखी होगी, से सीमांकन किया जाएगा ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इस खनन पट्टे के अनुमोदन की अवधि इस अनुमोदन पत्र के  
दिनांक की तिथि से 5 वर्ष रहेगी ।

वनक्षेत्रों में अग्नि से सुरक्षा हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जायेगी ।

MINING



....2

15

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जा
7. प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त किसी वनभूमि पर ओवरबर्डन की डंपिंग नहीं की जायेगी ।
8. प्रस्ताव के साथ संलग्न Land Reclamation Measures का क्रियान्वयन उपयोग वन विभाग के निर्देशन में किया जायेगा ।

(डॉ०  
मुख्य वन

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ०सी०),पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,पर्यावरण भवन,सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, दिल्ली
2. मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- ✓ 3. वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर वनमण्डल सागर, जिला-सागर, मध्यप्रदेश ।
4. मेसर्स श्री संजय कटारे, गांधी चौक वार्ड, सागर, जिला-सागर, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(डॉ०  
मुख्य वन